दूरभाष 2286700
2286715
[illegible]

SUDA

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

6211

पत्रांक : 5349 /05/76/एक/2016-17 दिनांक 20 फरवरी 2017

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-जौनपुर।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2016–17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या 37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स	08660191037191	IFSC Code ORBC0100866	130.773

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रेषित किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0 खेतासराय	सोंधी वार्ड में सुन्दर राम यादव मार्ग से सूबेदार के मकान से होते हुए खुटहन रोड तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	14.155
2	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0 खेतासराय	पोस्ट आफिस वार्ड में दीदारगंज रोड से वन विभाग पौधशाला स्टेशन के सामने तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	15.548
3	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0 खेतासराय	वार्ड नं0 03 में शाहगंज मुख्य मार्ग से तार महना रोड होते हुए राज गौरव प्रशिक्षण संस्थान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	15.548
4	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0 खेतासराय	पोस्ट आफिस वार्ड में राकेश के घर से होते हुए दिनेश के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	6.664
5	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0 खेतासराय	वार्ड न0 6 सरवरपुर में खुटहन मार्ग से गोरई बिन्द के मकान होते हुए शिव शंकर सिंह के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	11.486
6	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0 खेतासराय	सोंधी वार्ड में कृष्ण लाल के मकान से राजेश कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	6.944
7	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0 खेतासराय	सोंधी वार्ड में फूलचन्द्र सोनकर के मकान से कामता के घर होते हुए पोखरा तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	9.257
8	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0प0 जौनपुर	वार्ड संख्या 03 रासमण्डल मड़सरा में प्रा0 पा0 के सामने अन्दर जाने वाले इण्टरलाकिंग मार्ग पर	2.633

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001

6272

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

SUDA

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	कार्य/वार्ड का नाम	[illegible]
				स्थित सोनकर बस्ती में लल्लू सोनकर के घर से चन्दर सोनकर के घर के बगल से होते हुए गोपाल सोनकर के मकान तक नाली एवं इण्टरलाकिंग का कार्य।	
9	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पा0प0 जौनपुर	वार्ड संख्या–15 चक प्यार अली अनु0जाति बस्ती में रामबली सोनकर के घर से बाबा सोनकर के घर तक नाली व इण्टरलाकिंग का कार्य।	1.784
10	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 [illegible]	पोस्ट आफिस वार्ड में दिनेश के मकान से कल्लू के ट्यूबवेल से होते हुए रेलवे स्टेशन तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	15.721
11	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 [illegible]	[illegible] में मुख्य मार्ग पर स्थित राधेश्याम सेठ की दुकान से दुर्गा मंदिर तक इण्टरलाकिंग व दोनो तरफ नाली निर्माण कार्य।	16.878
12	जौनपुर	मलिन बस्ती–83 बजट	न0पं0 [illegible]	सोंधी वार्ड में [illegible] मार्ग से माइनर के बगल से होते हुए राम कुमार के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	14.155
	योग				130.773

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:

1. उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ [illegible] से सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
2. स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा दोहराव न कर लिया जाये।
3. प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाय एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय [illegible] के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना है तो सुनिश्चित किया जाये।
6. प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित करते हुये किया जाये।
7. परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तत्सम्बन्ध की सहमति ले ली जाये।

दूरभाष 2286709
2286710
नवचेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

8-- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में अवश्य कर लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जाये। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9 उक्त धनराशि सूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्राविधानों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कगार इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10-- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य वैधिक प्राविधानों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11-- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजना के लिये किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्यपवर्तन अनुमन्य न होगा. शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देयता न हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12-- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि से सुसंगत नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त परियोजनाओं में सेन्टेज के अतिरिक्त अन्य कोई धनराशि अभिकरण पर नहीं रोकी गयी है।

13-- वर्तमान में प्रभावी आदर्श चुनाव आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. अधि० अभियन्ता, सूडा।
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग, सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक